भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

03.07.2019 के

तारांकित प्रश्न सं. 169 का उत्तर

चौकीदार रहित समपारों को समाप्त करना

***169. श्री विष्णु दयाल रामः**
श्री नितेश गंगा देबः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में वर्तमान में समपारों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) सभी वर्तमान और प्रचालनरत रेल लाइनों पर चौकीदार रहित समपारों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा प्रचालनरत रेल लाइनों पर चौकीदार रहित समपारों को समाप्त करने/उन्हें चौकीदार सहित समपारों में बदलने हेतु क्या समय-सीमा, यदि कोई है, निर्धारित की गई है;

(घ) सरकार द्वारा ऐसे स्थानों, जहां पर चौकीदार रहित समपारों को समाप्त किया जा चुका है, पर लोगों के लिए किये गये वैकल्पिक प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजना पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है/किये जाने की संभावना है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

चौकीदार रहित समपारों को समाप्त करने के संबंध में 03.07.2019 को लोक सभा में श्री विष्णु दयाल राम और श्री नितेश गंगा देब के तारांकित प्रश्न संख्या 169 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): 01.04.2019 को देश में 21340 चौकीदार वाले समपार तथा 1048 बिना चौकीदार वाले समपार थे। 21340 चौकीदार वाले समपारों में से 20993 समपार बड़ी लाइन पर हैं, 136 समपार मीटर लाइन पर हैं और 211 समपार छोटी लाइन पर हैं। जहां तक बिना चौकीदार वाले समपारों के आमान-वार ब्यौरे का संबंध है, वर्ष 2018-19 में रिकार्ड संख्या में 3479 बिना चौकीदार वाले समपार समाप्त किए गए, इनमें से 1714 समपार केवल एक माह अर्थात् सितंबर 2018 में समाप्त किए गए। 31.01.2019 को बड़ी लाइन पर बिना चौकीदार वाले सभी समपारों को समाप्त कर दिया गया है, मीटर लाइन पर 348 बिना चौकीदार वाले समपार मौजूद हैं और छोटी लाइन पर 700 बिना चौकीदार वाले समपार मौजूद हैं। 01.04.2019 को समपारों की राज्य-वार तथा आमान-वार संख्या निम्नलिखित है:

क्र. सं.	राज्य	देश में चौकीदार वाले समपारों की संख्या (01.04.2019 को)			देश में मीटर लाइन/छोटी लाइन पर बिना चौकीदार वाले समपारों की संख्या (01.04.2019 को)	
		बड़ी लाइन	मीटर लाइन	छोटी लाइन	मीटर लाइन	छोटी लाइन
1	आंध्र प्रदेश	1192	0	0	0	0
2	असम	877	0	0	0	0
3	बिहार	1868	0	0	0	0
4	चंडीगढ़	4	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	245	0	19	0	15
6	दिल्ली	27	0	0	0	0
7	गोवा	10	0	0	0	0
8	गुजरात	1786	54	39	192	169
9	हरियाणा	600	0	2	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	13	0	37	0	4
11	जम्मू एवं कश्मीर	34	0	0	0	0
12	झारखंड	518	0	0	0	0
13	कर्नाटक	813	0	0	0	0
14	केरल	412	0	0	0	0
15	मध्य प्रदेश	830	6	41	0	137
16	महाराष्ट्र	1051	0	57	0	154

17	मणिपुर	0	0	0	0	0
18	मिजोरम	1	0	0	0	0
19	नागालैंड	1	0	0	0	0
20	ओडिशा	793	0	0	0	0
21	पुडुचेरी	22	0	0	0	0
22	पंजाब	1150	0	13	0	0
23	राजस्थान	1306	13	3	101	52
24	तमिलनाडु	1419	9	0	0	0
25	तेलंगाना	406	0	0	0	0
26	त्रिपुरा	15	0	0	0	0
27	उत्तर प्रदेश	3615	54	0	55	2
28	उत्तराखंड	173	0	0	0	0
29	पश्चिम बंगाल	1812	0	0	0	167
	कुल	20993	136	211	348	700
	सकल योग	21340			1048	

(ख) और (ग): 31.01.2019 को बड़ी लाइन पर सभी बिना चौकीदार वाले समपारों को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में, मीटर लाइन और छोटी लाइन पर कुल 1048 बिना चौकीदार वाले समपार मौजूद हैं (मीटर लाइन पर 348 और छोटी लाइन पर 700)। जहां तक मीटर लाइन और छोटी लाइन पर बिना चौकीदार वाले समपारों को समाप्त करने का संबंध है, इन्हें आमान परिवर्तन के दौरान समाप्त करने की योजना बनाई गई है।

(घ): स्थल विशिष्ट संबंधी व्यवहार्यता के आधार पर, राज्य सरकार के परामर्श से निम्नलिखित विधियां अपनाकर बिना चौकीदार वाले समपारों को समाप्त किया गया है:

- समपारों के स्थान पर भूमिगत मार्गों/ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों का प्रावधान। यह कार्य जिलाधिकारी (राज्य सरकार) के विशिष्ट अनुमोदन से किया गया था।

- **विलय - डायवर्ज़न रोड का निर्माण करके बिना चौकीदार वाले समपारों का नजदीकी समपारों/ग्रेड सेपरेटरों से विलय। यह कार्य जिलाधिकारी (राज्य सरकार) के विशिष्ट अनुमोदन से किया गया था।**
- **बंद करना - शून्य/नगण्य गाड़ी वाहन इकाई (टीवीयू) वाले बिना चौकीदार वाले समपारों को बंद करना। यह कार्य जिलाधिकारी (राज्य सरकार) के विशिष्ट अनुमोदन से किया गया था।**
- **चौकीदार तैनात करना - हालांकि बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात करना कोई आदर्श और लागत प्रभावी समाधान नहीं है, फिर भी जिन समपारों को उक्त पद्धतियों द्वारा समाप्त नहीं किया जा सका, उन समपारों पर चौकीदार तैनात किए गए।**

(ड.): चौकीदार वाले तथा बिना चौकीदार वाले समपारों को समाप्त करने के लिए व्यय का अलग से लेखा-जोखा नहीं रखा जाता है। ये कार्य योजना शीर्ष 29 एवं 30 के तहत आते हैं। पिछले दस वर्षों (2009-19) और चालू वर्ष 2019-20 (मई 2019 तक) के दौरान, इस प्रयोजन के लिए निधियों का वर्ष-वार व्यय (योजना शीर्ष -29 और 30 के तहत) इस प्रकार है:

क्र. सं.	वर्ष	योजना शीर्ष-29 एवं 30 के तहत निधियों का व्यय (करोड़ रु. में)
1	2009-10	900.06
2	2010-11	1101.43
3	2011-12	1329.06
4	2012-13	1584.08
5	2013-14	1986.29
6	2014-15	2222.41
7	2015-16	2689.18
8	2016-17	3709.19
9	2017-18	3709.43
10	2018-19	4221.62
11	2019-20 (मई 2019 तक)	763.66
	कुल	24216.41

******